संख्या-20/2017-768/58-2017-343/2016

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2017**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त 2017) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष अपेक्षित धनराशि के अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10/बजट/2017-18, दिनांक 12.4.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के उद्यान शाखा के अन्तर्गत उल्लिखित लेखाशीर्षकवार/मदवार विवरण के अनुसार संचालित चालू योजनाओं में लेखानुदान से प्राविधानित धनराशि रू0-1187.47 लाख (रूपये-ग्यारह करोड़ सतासी लाख सैतालीस हजार) मात्र के सापेक्ष रू0-342.70 लाख (रूपये-तीन करोड. बयालिस लाख सत्तर हजार) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

अनुदान सं0-83 **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्र0सं0	**लेखाशीर्षक**	**वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन		
	27-सब्सिडी	904.97	226.25
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7.50	1.87
	योग	912.47	228.12

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-औद्यानिक विकास कार्यक्रम		
2	27-सब्सिडी	240.00	100.00
	42-अन्य व्यय	35.00	14.58
	योग	275.00	114.58
	कुल योग	1187.47	342.70

(रूपये- तीन करोड़ बयालिस लाख सत्तर हजार मात्र)

(1) पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन योजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश सं0-15/2017-1843/58-2017-429/2015 दिनांक 12.07.2017 में निर्धारित नवीन फण्डिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश राज्यांश एवं लाभार्थी अंश निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जायेगा :-

लाभार्थी श्रेणी	केन्द्रांश (60%)	राज्यांश (40%)	अतिरिक्त राज्यांश (Top-up)	कुल राज्यांश	कुल अनुदान	लाभार्थी अंश
1	2	3	4	5	6	7
लघु एवं सीमान्त कृषक	33%	22%	35%	57%	90%	10%
अन्य कृषक	27%	18%	35%	53%	80%	20%

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शत प्रतिशत भारत सरकार का अंश निहित होगा। तदनुसार संशोधित केन्द्रांश/राज्यांश की अनुदान धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा तथा लाभार्थी अंश का भुगतान सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं उक्तानुसार किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय नियमानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहाँ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में धनराशि के व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृत की गयी है।

(7) ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान करने के सम्बन्ध में डी0बी0टी0 की प्रक्रिया निम्नवत अपनायी जायेगी :-

i वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम-आवक प्रथम-पावक के सिद्वान्त पर चयनित कर लाभाविन्त किया जायेगा।

ii योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/स्थापना का कार्य निजी श्रोत से भुगतानकरते हुए शासकीय अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से अपने बैंक खाते/ऋण खाते में अन्तरित की जायेगी।

iii लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निजी श्रोत से न दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी0डी0सी0) सम्बन्धित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स को हस्तगत कराकर किया जा सकता है।

iv लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे की संतोषजनक रिपोर्ट एवं निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजित एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से डी0बी0टी0 प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

(8) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.1.2017 में यह प्राविधान है कि केन्द्र पोषित वाहय सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्भी को किसी प्रकार **(Cash or Kind)** की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि का मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से योजना के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्वान्तों (गाइड लाइन्स) के अनुसार स्वीकृतिया जारी की जायेंगी। प्रश्नगत योजना पर उपरोक्तानुसार केन्द्रांश/राज्यांश टाप सहित दिये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

(10) लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(11) निर्माता फर्म द्वारा लाभार्थी कृषक के खेत में स्थापित संयंत्र 3 वर्ष तक फ्री सेल सर्विस की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) औद्यानिक विकास कार्यक्रम हेतु अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि के आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र उनके द्वारा कोषागार में धनराशि आहरित करने से पूर्व दिया जायेगा। तदोपरान्त धनराशि आहरित की जायेगी।

(13) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय जनपदवार योजनान्तर्गत स्वीकृत परिव्यय के अनुसार ही किया जायेगा, उसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा

(14) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार माहवार फेजिंग करते हुए किया जाय तथा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(15) जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(16) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(17) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(18) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना तत्काल शासन/वित्त विभाग को दिया जाय।

(19) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.1.2017 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग उत्तरदायी होंगे।

(20) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(21) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0-सी-ए-1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.1.2005 का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(22) योजना पर किये गये व्यय के संबंध में मासिक विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराये जाय।

(23) वित्त लेखा अनु0-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(24) औद्यानिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन शासनादेश सं0-28/2016-912/58-2016-118/2016, दिनांक 07.4.2016 में दी गयी व्यवस्था डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

(25) इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष2017-18 के आय-व्ययक में 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन-27-सब्सिडी-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय तथा 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-औद्यानिक विकास कार्यक्रम-27-सब्सिडी-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत् उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.1.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

संख्या-20/2017-768(1)/58-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(2) सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन नई दिल्ली।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) निदेशक कृषि विभाग कृषि भवन लखनऊ।
(5) बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(6) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in